न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 23/2014

ठाकुर सज्जन सिंह राठौड पुत्र श्री रामप्रताप सिंह, 5/30, मेयोंलिक रोड, अजमेर।
.....**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थोकमालियान प्रथम के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2020से 2023 में दर्ज खातेदार श्री रामप्रताप व आशाराम पुत्रगण भूरसिंह की विरासत खोलेने के लिए दिनांक 7.02.2007 को तहसीलदार अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौका जाचं रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 17.6.2014 को अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये, तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 7.02.2007 को तहसीलदार अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र ग्राम थोकमालियान प्रथम के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2020से 2023 में दर्ज खातेदार श्री रामप्रताप व आशाराम पुत्रगण भूरसिंह की विरासत खोलेने के लिए प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौका जाचं रिपोर्ट तलब की गई। तद्नुसार मौके पर अन्य व्यक्तियों का काबिज होना दर्शाया गया जो कयास के आधार पर प्रतीत होता है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 17.6.2014 को अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो न्याय, नियम एवं रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपनी बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट में प्रश्नगत आराजी के रिकार्डेड खातेदारान के वारिसान का जीवित होना दर्शाया गया तथा उपस्थित सभी वारिसान के हस्ताक्षर भी करवाये गये। अपीलान्ट या अन्य किसी वारिसान द्वारा प्रश्नगत आराजी का कभी भी कोई विक्रय नहीं किया गया तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्ट के समक्ष पत्रावली पर था। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर एवं माननीय लोकायुक्त महोदय को प्रश्नगत आराजी बाबत विरासती नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त दोनो आदेशों को दरकिनार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं विधि

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 17.06.2014 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट व अन्य वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट मुताबिक प्रश्नगत आराजी पर घनी आबादी बसी होकर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के मकानात व दुकाने बनी होना व मंदिर निर्मित है। अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट व अन्य वारिसान का कब्जा भी जाहिर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुए आक्षेपित आदेश बहाल रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि–

1. वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में घनी आबादी बसी हुई है, तथा मौके पर भिन्न व्यक्तियों के मकानात, दुकाने एवं मंदिर निर्मित हैं।
2. अपीलाधीन आराजी के खातेदारान के वारिसान का मौके पर कब्जा नही पाया गया।
3. "मौके पर अन्य व्यक्ति काबिज है, अतः विक्रय किया जाना प्रकट होता है" तथ्य अंकित कर रेस्पोडेन्ट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।
4. तहसीलदार के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का कोई पर्याप्त ठोस आधार किसी भी प्रकार से हमारे समक्ष प्रकट नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हम अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 1 6.2014 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अस्तु अपील, अपीलान्ट खारिज जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.07..2019 को इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner